

प्रेस नोट दिनांक-28.03.2021

(1). पुलिस अधीक्षक चित्रकूट के निर्देशन मे होली त्यौहार एवं आगामी त्रिस्तरीय चुनाव के दृष्टिगत अपराधियों पर अंकुश लगाने हेतु अपराधियों के विरुद्ध की जा रही कार्यवाही के क्रम में श्री अवधेश कुमार मिश्रा प्रभारी निरीक्षक थाना पहाड़ी द्वारा भोली भाली जनता में भय व आतंक व्याप्त कर गुण्डा गर्दी करने वाले अभियुक्त 1. रामलखन पुत्र रणविजय 2. पुन्नू उर्फ सरदार पुत्र रामकृपाल 3. जयनारायण पुत्र राजनारायण 4. राजबहादुर पुत्र मिस्त्रिया 5. छबीराम पुत्र बालकेश्वर 6. विनयराम पुत्र बालकेश्वर 7. उदयराम पुत्र बालकेश्वर 8. रलिहा यादव पुत्र चन्द्रशेखर 9. सर्वेश पुत्र आत्माराम 10. आत्माराम पुत्र बालकेश्वर 11. राजनारायण पुत्र राजबहादुर निवासीगण चौरा 11. धनश्याम पुत्र रामरतन 12. सागर पुत्र रामशरण 13. रामशरण निवासीगण दरसेडा 14. शिवप्रसाद पुत्र राजाबाबा निवासी हगदीपुरवा 15. फूलचन्द्र पुत्र सधुआ 16. कामता प्रसाद पुत्र मुन्ना 17. राकेश पुत्र घसीटवा 18. रामचन्द्र पुत्र सधुवा 19. रामप्रसाद पुत्र मुन्ना 20. आशीष पुत्र कामता 21. प्रेमचन्द्र पुत्र सधुवा 22. राजबहादुर पुत्र रामआसरे 23. राजा पुत्र बच्ची लाल निवासीगण बकटा बुजुर्ग के विरुद्ध धारा 110जी सीआरपीसी की कार्यवाही की गयी।

(2). पुलिस अधीक्षक चित्रकूट के निर्देशन मे होली त्यौहार एवं आगामी त्रिस्तरीय चुनाव के दृष्टिगत अवैध शराब निर्माण एवं बिक्री की रोकथाम हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में श्री रविप्रकाश प्रभारी निरीक्षक बरगढ़ के मार्गदर्शन में उ0नि0 श्री सिद्धनाथ राय तथा उनके हमराही द्वारा अभियुक्त अशोक पुत्र बसन्तालाल निवासी हर्दीकलां थाना बरगढ़ जनपद चित्रकूट को 05 लीटर कच्ची शराब के साथ गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के विरुद्ध थाना बरगढ़ में धारा 60 आबकारी अधिनियम के अन्तर्गत मुकदमा पंजीकृत किया गया।

गिरफ्तारी करने वाली टीम:-

1. उ0नि0 श्री सिद्धनाथ राय थाना बरगढ़
2. आरक्षी राहुल यादव
3. महिला आरक्षी निधि सेंगर

(3). पुलिस अधीक्षक चित्रकूट के निर्देशन में वाँछित/वारण्टी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में श्री सुशीलचन्द्र शर्मा प्रभारी निरीक्षक थाना रैपुरा के मार्गदर्शन में उ0नि0 श्री शिवपूजन यादव तथा उनके हमराही द्वारा मु0सं0 186/19 धारा 498ए भादवि0 व 3/4 दहेज प्रथा अधिनियम के वारण्टी अभियुक्त सहीद पुत्र रजा हुसेन निवासी नटो का डेरा बांधी थाना रैपुरा जनपदल चित्रकूट को गिरफ्तार किया गया ।

गिरफ्तार करने वाली टीम:-

1. उ0नि0 श्री शिवपूजन यादव थाना रैपुरा
2. आरक्षी मंगल पाल

(4). उ0प्र0 शासन द्वारा नारी सुरक्षा, नारी सम्मान, नारी स्वालंबन, महिला कल्याण एवं बाल विकास के लिए चलाये जा रहे मिशन शक्ति अभियान के अन्तर्गत पुलिस अधीक्षक चित्रकूट के निर्देशन में दिनांक 28.03.2021 को एंटी रोमियो टीम थाना मऊ द्वारा आनन्दी माता मंदिर, बस सूटैण्ड, बाजार रोड कस्बा मऊ में भ्रमण कर, एंटी रोमियो टीम थाना बरगढ़ द्वारा कटैयाडांडी रेलवे स्टेशन में, एंटी रोमियो टीम महिला थाना द्वारा विकासपुर अमानपुर बेड़ी पुलिया में भ्रमण कर, एंटी रोमियो टीम थाना भरतकूप ग्राम अकबरपुर में पहरा रोड एवं रेलवे स्टेशन भरतकूप में भ्रमण कर छात्राओं/बालिकाओं को वीमेन पावर लाइन 1090, महिला हेल्पलाइन 181, मुख्यमंत्री हेल्पलाइन 1076, पुलिस आपातकालीन सेवा 112, चाइल्ड हेल्पलाइन 1098, स्वास्थ्य सेवा 102, एम्बुलेंस सेवा 108 एवं अपने-अपने थाना के सीयूजी नम्बर के बॉरें में विस्तृत जानकारी देकर जागरूक किया साथ ही कोविड-19

के नियमों का पालन करने हेतु बताते हुये कोरोना वैक्सीन के प्रति जागरूक किया गया। एण्टी रोमियो टीम की महिला आरक्षियों द्वारा बालिकाओं को स्वास्थ्य सम्बन्धी जानकारी दी गयी। एण्टी रोमियो टीम के सदस्यों द्वारा छात्राओं/बालिकाओं से उनके साथ घटित किसी भी प्रकार की समस्याओं के बारे में पूछा गया एवं आवश्यकता पड़ने पर सम्बन्धित थाना प्रभारी/एण्टी रोमियो टीम प्रभारी व उ0प्र0 पुलिस द्वारा संचालित महिलाओं/बालिकाओं/छात्राओं हेतु चलाये जा रहे नम्बरों पर काल करने हेतु कहा गया ।